कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला सलूम्बर

थी श्री लालुराम — विपक्षी श्री रामलाल व अन्य

रस्म मुकदमा धारा–212 राज. काश्त. अधिनियम — प्रकरण संख्या 01/2022

कार्यवाही विवरण

–::निर्णय::–

दिनांकः– 27/01/25

उपस्थितः श्री जितेन्द्र कुमार वैष्णव अधिवक्ता – प्रार्थी
श्री राकेश प्रजापत अधिवक्ता -- विपक्षीगण

प्रार्थी द्वारा आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 सी.पी.सी. व धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि मौजा दुदर पटवार हल्का धारोद खाता संख्या 285 आराजी नम्बर 497, 498, 503 कुल किता 03 रकबा 0.38 हैक्टेयर भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षीगण सामलाती खातेदार है। जिसमे सभी प्रार्थी एवं विपक्षीगण का बराबर–बराबर हिस्सा है। परन्तु मौके पर विधिवत माप व सीमा द्वारा विभाजन नही होने से प्रार्थी एवं विपक्षीगण सही तोर पर उपज नही ले पाते तथा मौके पर हमेशा शान्ति भंग की आशंका रहती है। जिस कारण मौके पर सही माप व सीमा के द्वारा विभाजन करने के लिये वाद के साथ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के साथ यह प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लाना पडा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष मे व विपक्षीगणो के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमावे कि विपक्षीगण प्रार्थी के हिस्से आराजीयात की कृषि भूमि मे किसी प्रकार से कोई कब्जा नही करे तथा नही प्रार्थी की काश्त मे दखलन्दाजी करे, ना ही प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि मे किसी प्रकार से कोई निमार्ण कार्य करे।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तंलब किया गया। आदेशिका दिनांक 11–01–2021 को प्रार्थी द्वारा अर्जेन्ट सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली मे प्रार्थी को सुना जाकर प्रकरण मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश प्रजापत हाजिर रहे जिन्होने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य पुर्व मे मौके पर मौखिक बटवाडा हो चुका है व उक्त बटवाडे अनुसार दोनो ही पक्ष मौके पर कब्जे काश्त होकर कृषि कार्य कर रहे है। अतः विपक्षीगण पूर्व मे हुए मौखिक बंटवाडे व कब्जे काश्त अनुसार मौके पर बंटवाडे हेतु तैयार
पत्रावली मे उभयपक्षी की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस मे अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि हमारे खातेदारी भूमि मे विपक्षीगण दखल देते है। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण ने बहस मे अपने जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस मनन की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की भूमि संयुक्त खातेदारी की होकर अविभाजित होना प्रकट आया है। प्रथम दृष्टया मामल एवं सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णियक्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे उचित प्रतीत होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला स

विपक्षी श्री रामलाल व अन्य

प्रार्थी श्री लालुराम

प्रकरण संख्या 01/2021

किस्म मुकदमा धारा–212 राज. काश्त. अधिनियम

कार्यवाही विवरण

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशिका दिनांक 11–01–2021 को जारि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाता है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा से उभयपक्ष को मूलवाद पांती बंटवाडे के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पांबद किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय दिनांक 27/01/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर